

दिनांक 08.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 एस0 नेगी उपस्थित। अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य न देने का कथन किया गया।

पत्रावली बहस/अन्तर्गत धारा 437—ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने दिनांक 20.02.2024 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।